

2
167
23/05/22

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला-अलवर

बनाम रहीमा बगौरा बनाम पालाराम बगौरा

म मुकदमा प्राप्त वार RTI नं० 2/167 सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3.05.2022	<p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्राथी ने मूल वाद के साथ पेश किया है। वकील प्राथी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्राथी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्राथी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्राथी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 02.08.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.16 हैक्टे०, 22 रकबा 0.31 हैक्टे०, 23 रकबा 0.01 हैक्टे०, 29 रकबा 0.16 हैक्टे०, 49 रकबा 0.05 हैक्टे०, 91 रकबा 0.73 हैक्टे०, 146 रकबा 0.49 हैक्टे० वाकेग्राम तिलवाड तहसील रामगढ जिला अलवर की आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकार्ड व मौके कि यथा स्थिती बनाये रखे व रहन बैय ना करे। बशर्ते प्राथी साधारण/रजिस्टर्ड ए०डी० से दिनांक 02.08.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। पत्रावली दिनांक 02.08.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)</p>	
02/08/22	<p>वादों के वकील/पक्षीय उपस्थित/प्रतिवासीन अधिकारी <u>अमर उरा</u> को <u>पेश किया</u> नकल दिखाई गई। वादों <u>तलबी</u> पत्रावली दिनांक <u>01/11/22</u> को पेश हो।</p>	
	<p>वादों के वकील/पक्षीय उपस्थित/प्रतिवासीन अधिकारी <u>अमर उरा</u> को <u>पेश किया</u> नकल दिखाई गई। वादों <u>तलबी</u> पत्रावली दिनांक <u>31/01/23</u> को पेश हो।</p>	

